न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 20 सन 2020
अनवान :–

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन अरडकी तसहील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 01/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 145/137 के खसरा न0 249/2 की 7.2720हैक भूमि में सायल 1/10 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रेम पुत्र जगदीश दर्ज हो गया जबकि सायल का सही नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात/जमाबन्दीयों में दर्ज है सायल का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

सायल के सभी दस्तावेजात जैसे आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड मतदाता फोटो पहचान पत्र, भामाशाह आदि में सायल का नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद दर्ज है राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत तौर से सायल का नाम दर्ज हुआ है।

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त नही हो रही है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारी का हनन होता है सायला राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 145/137 के खसरा न0 249/2 की 7.2720हैक भूमि में सायल 1/10 हिस्सा भूमि सायल का नाम प्रेम के स्थान शैलेन्द्र कुमार संशोधन करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 145/137 के खसरा न0 249/2 की 7.2720हैक भूमि में सायल 1/10 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार दर्ज है

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण प्रेम पुत्र जगदीश दर्ज हो गया जबकि सायल का सही नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजातं जैसे आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड मतदाता फोटो पहचान पत्र, भामाशाह आदि में सायल का नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद दर्ज है तथा सरपंच ग्राम पंचायत अरडकी के प्रमाण पत्र के अनुसार भी सायल का सही नाम शैलेन्द्र कुमार है।राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत तौर से सायल का नाम दर्ज हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से सायल को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाए प्राप्त नही हो रही है जिससे सायल के खातेदारी अधिकारी का हनन होता है सायला राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 145/137 के खसरा न0 249/2 की 7.2720हैव भूमि में सायल 1/10 हिस्सा भूमि सायल का नाम प्रेम के स्थान शैलेन्द्र कुमार संशोधन करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किय रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 145/137 के खसरा न0 249/2 की 7.2720हैव भूमि में सायल 1/10 हिस्सा भूमि दर्ज है जिसमें सायल का नाम प्रेम पुत्र जगदीश प्रसाद दर्ज है

सायल का कथन है कि उसका सही नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश है यही नाम अन्य दस्तावेजात में जैसे आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड मतदाता फोटो पहचान पत्र, भामाशाह आदि में सायल का नाम शैलेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद दर्ज है तथा सरपंच ग्राम पंचायत अरडकी के प्रमाण पत्र के अनुसार भी सायल का सही नाम शैलेन्द्र कुमार है।राजस्व रिकार्ड में सहवन से गलत तौर से सायल का नाम दर्ज हुआ है।

सायल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं सरंपच ग्राम पंचायत अरडकी के प्रमाण पत्र के आधार पर सायल का नाम शैलेन्द्र कुमार होना प्रतित होता है सायल का नाम संशोधन करने से राज्यहको को कोई नुकसान नही होता बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों/सरपंच ग्राम पंचायत अरडकी के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार योग्य किया जाकर कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 145/137 के खसरा न0 249/2 की 7.2720हैव भूमि में सायल 1/10 हिस्सा भूमि में सायल का नाम प्रेम पुत्र जगदीश दर्ज है के स्थान पर शैलेन्द्र कुमार उर्फ प्रेम पुत्र जगदीश प्रसाद संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 136 LRA/20 दिनांक :– 01/01/21

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 20 / 2020 अनवानी शैलेन्द्र कुमार बनाम सरकार में` पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

अनवान :–

1. शैलेन्द्र कुमार पुत्र जगुदीश प्रसाद जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन अरडकी तसहील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 20 / 2020 अनवानी शैलेन्द्र कुमार बनाम सरकार में दिनांक 01/01/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 145 / 137 के खसरा न0 249 / 2 की 7.2720हैक भूमि में सायल के 1 / 10 हिस्सा भूमि में सायल का नाम प्रेम पुत्र जगदीश दर्ज है के स्थान पर शैलेन्द्र कुमार उर्फ प्रेम पुत्र जगदीश प्रसाद संशोधन किये जाने के आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner